हरिभूमि
बालोद भूमि - Page 1
Date 6 July 2025

नशे में वाहन चलाने पर कोर्ट ने 63 हजार का जुर्माना लगाया

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बालोद

शराब के नशे मे वाहन चला रहे व्यक्ति द्वारा थाना परिसर के सामने मुख्य मार्ग मे चल रहे वाहन चेकिंग से बचने वाहन नही रोकना वाहन चालक को भारी पड़ गया जिसका पीछा कर पुलिस ने वाहन चालक को पकड़ा जहां पड़ताल के दौरान वाहन चालक नशे मे मिला, जिसके बाद न्यायालय ने उक्त वाहन चालक के खिलाफ 63 हजार का जुर्माना लगाया है।

गुण्डरदेही पुलिस द्वारा थाना परिसर के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था इस दौरान मार्ग से आने जाने वाले वाहन चालको की चेकिंग व दोपहिया वाहन चालको को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की समझाईस पुलिस द्वारा दी जा रही थी लेकिन इस वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक पीकप वाहन चालक को पुलिस ने वाहन चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया। लेकिन पिकअप वाहन चालक द्वारा पुलिस के वाहन चेकिंग अभियान व पुलिस वालो के वाहन किनारे करने के इसारे को दरकिनार करते हुए वाहन तेजगति से आगे वहां से निकालने का प्रयास किया जिसके बाद पुलिस द्वारा कहने पर भी वाहन चालक द्वारा वाहन नही रोकने पर पुलिस ने उक्त वाहन का पिछा किया तथा उसे ओवरटेक कर ग्राम मुंदेरा के पास उक्त वाहन को रोककर वाहन न रोकने का कारण पूछा गया। जिसमे व्यक्ति नशे के हालात मे वाहन चालन करना पुलिस द्वारा पाया गया जिसके बाद उक्त वाहन व चालक को पुलिस थाने लेकर आई जहां गुण्डरदेही न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक के खिलाफ 63 हजार का जुर्माना लगाया गया।